



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1964]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 1, 2012/आश्विन 9, 1934

No. 1964]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2012/ASVINA 9, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2012

New Delhi, the 1st October, 2012

का.आ. 2345(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कंपनी विधि प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 355, तारीख 17 जनवरी, 1957 की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, उक्त धारा की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना की प्रति प्रारूप में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई, अर्थात् :—

S.O. 2345(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Department of Company Law Administration *vide* number S.R.O. 355, dated 17th January, 1957, a copy of this notification having been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of that Section, namely :—

उक्त अधिसूचना के पैरा (2) के उप-पैरा (ii) में,
“ऐसे अन्य स्थान में, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित कर सकेगी” शब्दों के स्थान पर “ऐसे किसी अन्य स्थान में जो उस नगर, नगरी या ग्राम में जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है या ऐसे किसी अन्य स्थान में, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित कर सकेगी” शब्द रखे जाएंगे।

In the said notification, in paragraph (2), in sub-paragraph (ii), for the words “such other place as the Central Government may approve in this behalf”, the words “some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situate or such other place as the Central Government may approve in this behalf” shall be substituted.

[फा. सं. 9/1/2011-सीएल. V]

[F.No. 9/1/2011-CL.V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.नि.आ. 355, तारीख 17 जनवरी, 1957 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सं. का.आ. 591(अ), तारीख 17 मार्च, 2011 द्वारा किया गया।

Note: The principal notification was published in the Gazette of India number S.R.O. 355, dated the 17th January, 1957 and last amended *vide* notification number S.O. 591(E), dated the 17th March, 2011.